न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) बांसवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी – नरेश बुनकर, RAS

अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 62/2021
रजिस्ट्रेशन नं. :2021/73

| | | अभियुक्त :– |
|---|---|---|
| राजस्थान राज्य जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बॉसवाडा | बनाम | भावना त्रिवेदी पत्नि श्री महेश कुमार त्रिवेदी मैसर्स – क्वालिटी सुपर मार्केट, चक्की चौक, पालोदा, बॉसवाडा |

## अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम 2011

### निर्णय

दिनांक 17.01.2022

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बॉसवाडा (राज) के द्वारा दिनांक 23–12–2021 को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक 13–07–2021 को 01.00 पी.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थो की जॉच हेतु **मैसर्स – क्वालिटी सुपर मार्केट, चक्की चौक, पालोदा, बॉसवाडा** पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर **भावना त्रिवेदी पत्नि श्री महेश कुमार त्रिवेदी** उपस्थित थे। विक्रेता की दुकान का निरीक्षण करने पर **चाय (ब्राण्ड कमल) के 250–250 ग्राम के 20 पैकेट** आम जनता को विक्रय हेतु पाये। इसमें मिलावट का शक होने पर वास्ते जॉच हेतु खरीदने की सूचना देते हुए उक्त **चाय (ब्राण्ड कमल) के आठ पैकेट** विक्रेता एवं गवाहान की उपस्थिति में खरीद किये गए तथा इनकी कीमत 600 रु. विक्रेता को चुका कर रसीद प्राप्त की। विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक की। खरीद किये गये **चाय (ब्राण्ड कमल) आठ पैकेट** के चार भाग कर डी.ओ एवं मुख्य चिकि.एवं स्वा. अधिकारी बॉसवाडा के कोड व सिरीयल नंबर W-784 नमूना सम्बन्धित जानकारी मय गवाहान एवं स्वयं के हस्ताक्षर कर चिपकाया। प्रत्येक नमूना भाग को नियमानुसार सील बन्द कर अपने जाप्ते में लिया। उक्त चार नमूना भागो में से एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति आउटकवर में सील बन्द कर व मोहर कर जांच हेतु खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बांसवाड़ा को जमा करवाया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2022.04.18 13:07:00 IST
Reason: SelfAttested

डी.ओ एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्र एफ.एस.एस. ए/2021/299–300 दिनांक 12.08.2021 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

वाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 114 दिनांक 23.07.2021 अनुसार विक्रेता से वास्ते नूना जांच हेतु क्रय किया गया **चाय (ब्राण्ड कमल)** Violate Regulation 2.2.2 (6)&(10) of food safety & standards (Pakaging & Labelling) Regulation 2011 पाये जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(Zf)(A)(i) के तहत मिस ब्राण्डेड होना पाया। विक्रेता द्वारा **चाय (ब्राण्ड कमल)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 24–12–2021 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपी को जरिये समन तलब किया गया।

दिनांक 17.01.2022 को अभियुक्त ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अपना अपराध स्वीकार कर निवेदन किया कि न्यायालय जो भी जुर्माना करे, वह स्वीकार है। प्रकरण में आरोपी द्वारा अपराध स्वीकार कर लेने के कारण अन्य किसी साक्ष्य की अब आवश्यकता नहीं रहती है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अभियुक्त को सुना। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का भी गहनता पूर्वक अवलोकन किया एवं उस पर मनन किया। डी. ओ एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस. ए/2021/299–300 दिनांक 12.08.2021 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 114 दिनांक 23.07.2021 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया **चाय (ब्राण्ड कमल)** Violate Regulation 2.2.2 (6)&(10) of food safety & standards (Pakaging & Labelling) Regulation 2011 पाये जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(Zf)(A)(i) के तहत मिस ब्राण्डेड होना पाया। विक्रेता द्वारा **चाय (ब्राण्ड कमल)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है। प्रकरण में अभियुक्त द्वारा स्वयं अपराध स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में अब किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतित नही होती है इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2022.04.18 13:07:00 IST
Reason: SelfAttested

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(Zf)(A)(i) के तहत मिस ब्राण्डेड किया गया **चाय (ब्राण्ड कमल) मिस ब्राण्डेड** को विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन

न्याय निर्णयन अधिकारी

पाया गया। जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 52 का उल्लंघन किया है आरोपी को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर **श्रीमती भावना त्रिवेदी पत्नि श्री महेश कुमार त्रिवेदी मैसर्स – क्वालिटी सुपर मार्केट, चक्की चौक, पालोदा, बॉसवाडा को 10000/– (अक्षरे रू. दस हजार मात्र)** के अर्थ दण्ड से दण्डित किया जाता है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800–अन्य प्राप्तियां, (03)–खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा–पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बॉसवाडा आरोपी को जुर्माना राशि का चालान जमा कराने पाबंद करे तथा जमा राशि का चालान प्राप्त कर प्रति इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 17.01.2022 खुले न्यायालय सुनाया गया।

नरेश

( नरेश बुनकर )
न्यायनिर्णयन अधिकारी
(अति0 जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2022.04.18 13:07:00 IST
Reason: SelfAttested